GUJARAT VAIBHAV N. D. 20/12/2018

टायर पर जीएसटी दर को घटाकर 18 प्र. कर सकती है जीएसटी परिषद

एजेंसी ■ नई दिल्ली

GOODS AND SERVICES TAX COUNCIL

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद वाहनों के टायरों पर जीएसटी दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर सकती है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। जीएसटी परिषद की अगली बैठक शनिवार को है। यह कदम सबसे ऊंचे 28 प्रतिशत के कर स्लैब को तर्कसंगत बनाने के लिए उठाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा था कि।,200 से अधिक वस्तुओं और सेवाओं में से 99 प्रतिशत पर 18 प्रतिशत या उससे कम जीएसटी लगेगा। एक अधिकारी ने पीटीआई भाषा से कहा, वाहन टायरों पर 28 प्रतिशत जीएसटी से आम आदमी प्रभावित हो रहा है। 22 दिसंबर को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में मुख्य ध्यान आम आदमी पर जीएसटी का बोझ कम करने पर होगा। फिलहाल 28 प्रतिशत के ऊंचे कर स्लैब में 34 वस्तुएं हैं। इनमें वाहन टायर, डिजिटल कैमरा, एयर कंडीशनर, डिश वॉशिंग मशीन, सेट टॉपबॉक्स, मॉनिटर और प्रोजेक्टर के अलावा कुछ निर्माण उत्पाद मसलन सीमेंट शामिल हैं। अधिकारी ने कहा कि सीमेंट पर कर की दर को घटाकर 18 प्रतिशत करने से सरकार पर करीब 20,000 करोड़ रुपए का सालाना बोझ पड़ेगा, इसके बावजूद परिषद यह कदम उठा सकती है। जो उत्पाद 28 प्रतिशत कर स्लैब में कायम रखे जाएंगे उनमें शीतल पेय, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू उत्पाद, पान मसाला, धूम्रपान पाइप, वाहन, विमान, याट, रिवाल्वर और पिस्तौल तथा गैंबलिंग लॉटरी शामिल हैं। जीएसटी के पांच कर स्लैब शून्य, 8, 12, 18 और 28 प्रतिशत हैं।